

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

विभागान्तर्गत संस्थानों के पुराने एवं बेकार पड़े यंत्र/संयंत्रों को रद्दीकृत कर नियमानुसार निष्पादित करने हेतु प्रत्येक संस्थानों में निम्नरूप से एक समिति का गठन किया जाता है :-

- | | | | |
|----|--|---|---------|
| 1. | संबंधित संस्थान के प्राचार्य | — | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी के एक प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| 3. | संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र
अथवा उनके प्रतिनिधि | — | सदस्य |
| 4. | संबंधित संस्थान के कर्मशाला अधीक्षक | — | सदस्य |
| 5. | संबंधित संस्थान के वरीयतम शिक्षक | — | सदस्य |

उक्त समिति रद्दीकृत सामानों की सूची तैयार कर उनकी बिक्री हेतु अनुमानित मूल्य के साथ प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध करायेगी। विभाग के अनुमोदनोपरांत संबंधित सामानों की बिक्री नियमानुसार की जायेगी।


ह०/-
निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक - वि. प्रा.(11) पो.संस्थान-8/2009 1389 /पटना, दिनांक- 9-6-09

प्रतिलिपि - सभी प्राचार्य, रा०पो०/रा०म०पो० संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक(यो०)/सहायक निदेशक(त०), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. आप्त सचिव, माननीय विभागीय मंत्री/आप्त सचिव, सचिव कोषांग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


निदेशक,
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग,
बिहार, पटना।

